कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय, आजमगढ़

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की भूमि पर स्थित दुकानें फोटो स्टेट, चाय-मीठा, पान की गुमटी, ठेला एवं साइकिल स्टैण्ड आदि की नीलामी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी एवं क्रय समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 01/03/2024, 02/03/2024 तथा 16/03/2024 को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नवीन परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के ''हाल ऑफ जस्टिस'' में समिति के सभी सदस्य की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया था, जिसमें कुल 40 दुकानों में से 33 दुकानों को आवंटित किया जा चुका है। प्रतिभागिता के अभाव में 07 दुकानों की नीलामी नही करायी जा सकी। माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1548/Admin(B-I) Section Dated: May 2nd 2024 द्वारा शेष 07 दुकानों की नीलामी हेतु बन्द निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिनका विवरण निम्नलिखित है-

बन्द निविदा द्वारा नीलामी हेतु 07 दुकानों का विवरण

दुकान नम्बर	दुकान की प्रकृति	स्थान	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित न्यूनतम ठेका धनराशि
3	फोटो स्टेट	गेट सं. 02 के सामने	109142
10	पान की गुमटी	चर्च चौराहे के पास	56100
17	पान गुमटी	गेट सं. 05 के पास	46200
23	ठेला (चाय)	हेरिटेज बिल्डिंग के पीछे	132000
26	फोटो स्टेट की दुकान	हेवली न्यायालय के पीछे	102850
33	फोटो स्टेट	गेट सं.08 के पास	198000
39	साइकिल स्टैण्ड	अभिलेखागार के पीछे	1696420

उपरोक्त 07 दुकानों के आवंटन में भाग लेने वाले प्रतिभागी को दिनांक 24.05.2024 को सांय 04 बजे तक नजारत अनुभाग में अपना बन्द निविदा (लिफाफा) जमा करना होगा। जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नवीन परिसर में स्थित 10 कक्षीय न्यायालय भवन के "हाल आफ जस्टिस'' में समिति के सभी सदस्य की उपस्थिति में उक्त निविदा दिनांक 27.05.2024 को खोला जायेगा। अधिक जानकारी के लिए जनपद न्यायालय आजमगढ़ की बेबसाइट http://azamgarh.dcourts.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय व स्थान पर बन्द निविदा (लिफाफा) जमा करना सुनिश्चित करें।

<u>नीलामी की शर्तें निम्नलिखित है-</u>

1. यह ठेका 31.03.2025 तक के लिये वैध होगा।
2. ऐसे ठेकेदार जिन्हें विगत वर्षों में कभी आवंटन हुआ था तथा आवंटी आवंटन से सम्बन्धित कोई भी धनराशि बकाया है तो उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को बन्द निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार बकाएदार व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य या उसका प्रतिनिधि ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जायेगी और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

3. बन्द निविदा दिनांक 24.05.2024 को सायं 04:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।

4. जिसके पक्ष में दुकान का आवंटन किया जायेगा उसे न्यूनतम धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तीन बराबर किश्तों में क्रमश जून, सितम्बर व दिसम्बर तक जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा तथा बकाया धनराशि भू राजस्व के रूप मे वसूल किया जायेगा।

5. जिस निविदा धारक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वंय चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार,सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी भी प्रकार से प्रकाश में आने पर दुकान का ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6. जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0- 31 / ए ए दिनांकित 16.03.1953 सपठित परिपत्र सं.-28/ए ए दिनांकित 17.03.1958 में दी गयी शर्तो के अनुसार दुकानदार को बोली के पश्चात रू0 100-00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

7. ठेकेदार को अपने दुकान के आस-पास की सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं0- 139 दिनांकित 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके ।

8. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थो की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण कर सकें ।

9. आवंटियों को कोविड-19 संबंधी समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किए गए संपूर्ण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

10. खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ के विक्रय हेतु नीलामी मे प्राप्त दुकान को अपने खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता बनाये रखने की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। शासन द्वारा निर्गत आदेश व दिशा निर्देश का पालन करना होगा ।

11. जितनी भूमि दुकान करने हेतु दी जायेगी उसी में दुकान करना होगा कोई स्थायी निर्माण नही करना होगा तथा आवंटन के समय अस्थाई निर्माण स्वयं के खर्चे पर एक सप्ताह मे हटाना होगा ।

12. दुकानदार द्वारा दुकानो के विद्युत उपभोग किये जाने के लिए विद्युत विभाग से स्वयं से विद्युत संयोजन लेकर विद्युत का उपभोग किया जायेगा उससे सम्बन्धित मासिक किराया प्रत्येक माह में विद्युत विभाग मे जमा करते हुए रसीद की छाया प्रति न्यायालय के केन्द्रीय नजारत मे जमा करना अनिवार्य होगा।

13. सेवाप्रदाता उक्त दुकानो मे कोई अवैधानिक, अनैतिक या विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा। यदि उक्त के संबंध में कोई सूचना / घटना संज्ञान में आती है तो जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये ठेका निरस्त कर दे तथा उसके विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ करें।

14. यदि निरीक्षण के दौरान पाया जाता है कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दे और शासकीय नुकसान की वसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दे। सभी आवंटियों द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

दिनांक- 09 मई, 2024

भवदीय,

(जैनेन्द्र कुमार पान्डेय)
अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति
अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय सं. 03
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. ओ०एस०डी० कम्प्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु ससम्मान प्रेषित।
2. नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय, आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
3. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर) को जनपद न्यायालय आजमगढ़ की बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कलेक्ट्रेट आजमगढ़।
5. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
6. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
7. जिला सूचना अधिकारी स्थानीय व राष्ट्रीय समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु।
8. कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ़ (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।

दिनांक- 09 मई, 2024

भवदीय,

(जैनेन्द्र कुमार पान्डेय)
अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति
अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालय सं. 03
आजमगढ़।